राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

फा0 सं0 02/07/2020/एस–1/106 दिनांक 27.04.2020

आदेश

जबकि, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 में निहित शक्तियों के अनुपालन में राज्य कार्यकारी समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक आदेश संख्या डीडीएमए/कोविड/2020/47 दिनांक 14 अप्रैल, 2020 जारी किया है कि भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन अवधि के विस्तार को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी आदेश जिनकी वैधता केवल 14 अप्रैल, 2020 की मध्यरात्रि तक थी, वह 3 मई, 2020 की मध्यरात्रि तक या अगले आदेशों तक इन में जो भी पहले हो, तक मान्य रहेंगे;

और जबकि आदेश संख्या एफ. 02/07/2020/एस–1/53 दिनांक 15.04.2020 के अनुसार अद्योहस्ताक्षरी द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार आदेश संख्या 40–3/2020–डीएम–आई (ए) दिनांक 15.4.2020 के अनुसार जारी समेकित संशोधित दिशा–निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी विभागों को दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ 20 अप्रैल 2020 से छूट के रूप में अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल किया गया है। स्थानीय क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार संघ राज्य सरकार कड़े उपाय लागू कर सकती हैं;

और जबकि, आदेश संख्या 2/07/2020/एस–1/64 दिनांक 19.04.2020 के अनुसार अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिये गये हैं कि वे दिनांक 15.04.2020 के आदेश में संलग्न समेकित दिशा–निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन के संबंध में 27 अप्रैल, 2020 या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, को अन्य व्यापक आकलन तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अतिरिक्त गतिविधियों के लिए बिना किसी छूट के ''यथास्थिति'' बनाए रखें;

जबकि, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 में निहित शक्तियों के अनुपालन में राज्य कार्यकारी समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा, दिनांक 26.4.2020 के आदेश के साथ पठित दिनांक 15.4.2020 के डीडीएमए के आदेश में संलग्न

समेकित दिशा–निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन के संबंध में 3 मई, 2020 या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, ''यथास्थिति'' बनाए रखने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी विभागों को दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं। निम्न अतिरिक्त गतिविधियों को छोड़कर जो दिनांक 28.4.2020 से अनुमत होंगीः–

(i) खण्ड 5 (v)– पशुचिकित्सा अस्पताल, औषधालय, चिकित्सालय, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति,

(ii) खण्ड 5 (ix) – मूवमेंट (अंतर और अन्तरराज्यीय, हवा मार्ग सहित) चिकित्सा और पशुचिकित्सा कार्मिक, वैज्ञानिक, नर्स, पैरा–मेडिकल कर्मचारियों, लैब तकनीशियनों, मिडवाइफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं, एंबुलेंस सहित सभी की आवाजाही।

(iii) खण्ड 8 (i)–बच्चों/विकलांग/मानसिक रूप से अशक्त/वरिष्ठ नागरिकों/निराश्रित/महिलाओं / विधवाओं के लिए घरों का संचालन।

(iv) खण्ड 9 – प्रोत्साहित करने के लिए ऑनलाइन शिक्षण/अन्तर शिक्षण :

(v) खण्ड 14 (xi) – स्व–नियोजित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ – इलैक्ट्रीशियन, प्लंबर और वाटर प्योरीफायर्स।

(vi) खंड 14 के तहत उपखंड (xi) और (xii) (आदेश दिनांक 23.04.2020 में शामिल):

(xi) छात्रों के लिए शैक्षिक पुस्तकों की दुकानें।

(xii) बिजली के पंखे की दुकानें।

(विजय देव)

मुख्य सचिव, दिल्ली।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/ विभागाध्यक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

2. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।

3. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।

4. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को व्यापक प्रचार हेतु।

5. आयुक्त (दक्षिण दिल्ली नगर निगम/पूर्व दिल्ली नगर निगम/उत्तर दिल्ली नगर निगम)।

6. सीईओ, दिल्ली छावनी बोर्ड।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. राज्य कार्यकारी समिति, समस्त सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
11. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को व्यापक प्रचार हेतु।
12. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय मंडलीय आयुक्त, दिल्ली को ddma.delhigovt.nic.in –वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल।